

क्रमांक:- आर.एन.सी / 2022 / रजि. / 4963

दिनांक: 10/06/2022

अति-आवश्यक

समस्त प्रधानाचार्य,
राजकीय / निजी नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर,
राजस्थान।

विषय:- राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में नवीन पंजीयन के संबंध में।

समस्त नर्सिंग संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कौंसिल को रजिस्ट्रेशन हेतु प्रेषित करते समय संलग्न प्रारूप में संस्था के लेटर-पेड पर ऑनलाइन प्रमाण-पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

उक्त की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन नहीं किये जायेगे जिसके लिए संस्था प्रधान स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(डॉ. शशिकान्त शर्मा)
रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

पत्र क्रमांक.....

दिनांक.....

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में रजिस्ट्रेशन हेतु प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि निम्नांकित अभ्यर्थियों ने हमारी संस्था.....से प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है।

| S.N. | Name | Father's Name | Course Name | Course Period (From -To) | Enrollment No |
|------|------|---------------|-------------|--------------------------|---------------|
| | | | | | |

2. उपरोक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के सभी दस्तावेजों को (जो कि आर.एन.सी. में ऑनलाइन प्रेषित किये जा रहे हैं) मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान कर जाँच करने के पश्चात सही पाए गये हैं।
3. उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों का पूर्व में रजिस्ट्रेशन हेतु कोई आवेदन कौंसिल को प्रेषित नहीं किया गया है और आज दिनांक तक अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है।
4. उपरोक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन की अनुशंसा की जाती है। भविष्य में कोई विसंगति पाए जाने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।



संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
संस्था प्रधान का नाम

संस्था की मोहर